6

सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

6.1 कोयला खान भविष्य निधि संगठन

कोयला खान भविष्य निधि संगठन कोयला मंत्रालय के अधीन एक स्वायत निकाय है जो निम्नलिखित तीन स्कीमों को प्रशासित करता है :-

- कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948
- कोयला खान पेंशन योजना, 1998
- कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976

(24.03.2009 से बंद कर दी गयी)

उपर्युक्त तीनों योजनाओं की अलग-अलग विशेषताएं और व्यापक रूपरेखा निम्नवत हैं :

6.1.1 कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948

कोयला खान भविष्य निधि योजना जो कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाई गई है जो भारत में कोयला खानों के सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि के लाभ प्रदान करती है । नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इस अधिनियम के अधीन नहीं आती है। कोयला खान भविष्य निधि में कर्मचारी अपनी परिलब्धियों के 12% की दर से अंशदान करते हैं तथा नियोक्ता भी बराबर की राशि का अंशदान करते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 के पीएफ के अंत शेष पर न्यासी बोर्ड (बीओटी) द्वारा 8.75% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज का अनुमोदन था। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 8.75% की दर का प्रस्ताव किया गया है। नियोजकों, कर्मचारियों और केंद्रीय/राज्य सरकारों के प्रतिनिधि वाले एक त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड में निधियां निहित होती है तथा उनके द्वारा प्रशासित की जाती।

इस योजना का विस्तृत ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :-

विवरण	2013-14 वास्तविक	2014-15 अलेखापरीक्षित	2015-16 अनुमानित
शामिल कोयला खानों/संयत्रों की संख्या (वर्ष के अंत तक)	908	913	913
वर्ष के दौरान अद्यतन सदस्यों की संख्या (लाख)	4.14	4.17	4.20
स्वैच्छिक अंशदान सहित दिसम्बर, 2014 (करोड़ रू. में) तक वर्ष के दौरान अंशदान	4103.73	3842.21	5300.00 (लगभग)
निधि के सदस्यों को दी गई ब्याज दर	8.75% (बीओटी द्वारा अनुमोदित की गई ब्याज दर)	8.75% (बीओटी द्वारा अनुमोदित की गई ब्याज दर)	8.75% (बीओटी द्वारा बाद में अनुमोदित की जाने वाली अनुमानित ब्याज दर)
दिसम्बर, 2014 तक वर्ष के दौरान अग्रिम (करोड़ रू. में)	473.23	380.48	500.00 (लगभग)
वर्ष के दौरान भविष्य निधि की वापसी दिसम्बर, 2014 तक (करोड़ रुं. में)	4177.56	3654.60	4500.00 (लगभग)
निपटाए गए मामलों की संख्या (वापसी)	29,595	22675	30,000
प्राप्त मामलों की संख्या (वापसी)	29,134	22806	30,500
विद्यमान अधिकारियों की संख्या	35	35	35
विद्यमान कर्मचारियों की संख्या	861	843	943

तालिका 6.1

सतत प्रयासों और लंबित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के कारण निपटाए गए मामलों में पर्याप्त कमी आई है। भविष्य निधि वापसी के निपटान में मामले लंबित रहने की प्रवृति अगले पृष्ठ पर दिये गये आंकड़ों में दर्शायी गयी है :-

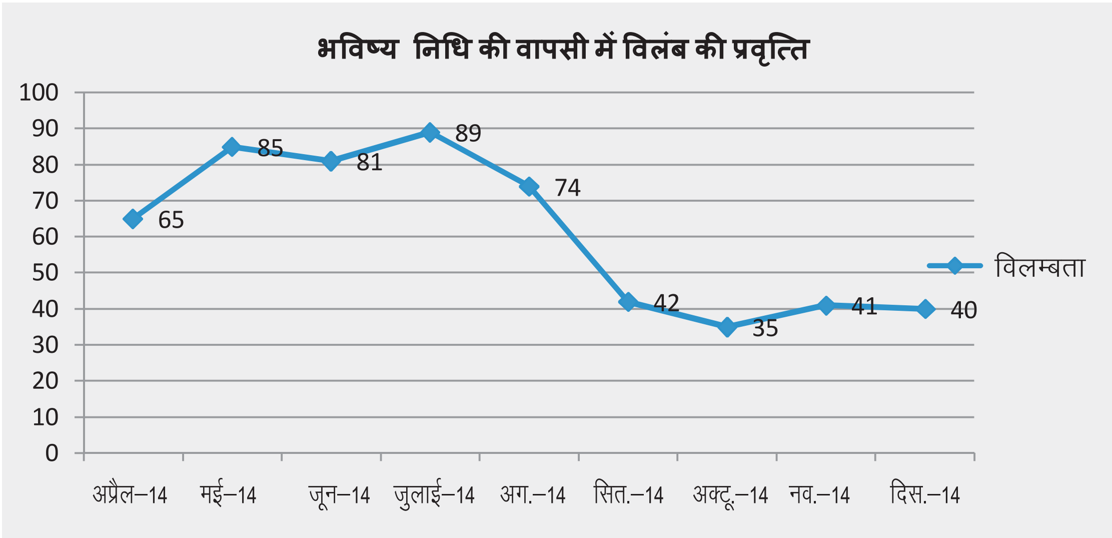

कोयला खानों के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ के विस्तार पर बल देनें के परिणामस्वरूप सीएमपीएफ/ईपीएफ अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ठेकेदार के कामगारों की संख्या 50376 (1.4.2014) से 62243 (1.12.2014) तक बढ़ गयी है जो 23.55**%** की वृद्धि को दर्शाता है।

6.1.2 कोयला खान पेंशन योजना, 1998

कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम 1971 (सीएमपीएफएस 71) का अधिक्रमण करके कोयला खान भविष्य निधि प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम 1948 (1948 का 46) की धारा 3 ई द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोयला खान पेंशन स्कीम 1998 (सीएमपीएस 1998) 31.03.1998 को लागू की गई थी। 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार सीएमपीएफ सदस्यता - 4,17,128 दर्ज की गई हैं।

6.1.2.1 पेंशन निधि

पेंशन निधि में कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम 1971 की निवल परिसंपत्तियां होती हैं। स्कीम के लाभार्थियों में बंद कोयला खान परिवार पेंशन स्कीम 1971 के सदस्य जो 31 मार्च 1998 को विद्यमान थे, 31 मार्च 1998 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारी और पेंशन निधि की सदस्यता को अपनाने वाले सदस्य शामिल है। ऐसे सभी कर्मचारियों जिनकी 01.04.1994 से 31.03.1998 की अवधि के दौरान सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गई को जीएसआर संख्या 521 (ई) दिनांक 12.08.2004 के तहत स्कीम के इच्छुक के रूप में समझा गया है। प्रत्येक तीसरे वर्ष बीमांकिक द्वारा पेंशन के मूल्यांकन को प्रावधान है जिसकी नियुक्ति न्यासी बोर्ड द्वारा की जाएगी।

6.1.2.2 पात्रता के प्रकार

(क) मासिक पेंशन

(ख) विकलांगता पेंशन

(ग) विधवा अथवा विधुर पेंशन

(घ) बाल पेंशन

(ड.) अनाथ पेंशन

(च) अनुग्रह अदायगी

केन्द्र सरकार ने 2013-14 के दौरान 15.00 करोड़ रू., 2014-15 (ब.अ.) में 16.00 करोड़ रू. और 2015-16 (ब.अ.) में 17.00 करोड़ रू. की राशि का अंशदान किया है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन योजना के संचालन हेतु प्रशासनिक व्यय के लिए 2013-14 में 7.00 करोड़ रु. का अंशदान किया। 2014-15 (ब.अ.) में 8.00 करोड़ रू. और 2015-16 (ब.अ.) में 10.00 करोड़ रू. की व्यवस्था इस प्रयोजनार्थ की गयी है ।

निम्नलिखित तालिका सीपीएमएस, 1998 के विस्तृत मानदंडों को दर्शाती है :-

सीएमपी स्कीम के लाभार्थियों का ब्यौरा

क्र.सं.	विवरण	2013-2014 वास्तविक	2014-2015 अलेखापरीक्षित	2015-2016 अनुमानित
i)	कोयला खान पेंशन योजना की सदस्यता (लाख)	4.19	4.40	4.50
ii)	नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकार द्वारा दिस. 2014 तक वर्ष के दौरान पेंशन स्कीम, 98 में किया गया अंशदान और सीएमपीएस 98 (करोड़ रू. में) पर ब्याज	2119.21	1668.15	2300.00
iii)	दिस. 2014 तक लाभों का संवितरण (समाप्त हुई परिवार पेंशन योजना और पेंशन योजना) (सीएमएफपीएस 1971) (करोड़ रू. में)	1358.89	1183.70	1500.00

iv) (क)	परिवार पेंशन (सीएमएफपीएस 1971) और जीवन बीमा लाभ (अब समाप्त) के निपटाए गए मामलों की संख्या	4	4	2
(ख)	दिस. 2014 तक निपटाए गए पेंशन (सीएमपीएस, 1998) के मामलें	32,597	23304	31,000
v) (क)	परिवार पेंशन (सीएमएफपीएस 1971) तथा जीवन बीमा लाभ के प्राप्त मामलों की संख्या	4	4	2
(ख)	दिस. 2014 तक सीएमपीएस, 1998 के अंतर्गत प्राप्त पेंशन मामलों की संख्या	32,070	23304	30,000

तालिका 6.2

सतत प्रयासों और लंबित मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के कारण निपटाए गए मामलों में पर्याप्त कमी आई है। पेंशन मामलों के निपटान में मामले लंबित रहने की प्रवृति **नीचे** दर्शायी गयी है:-

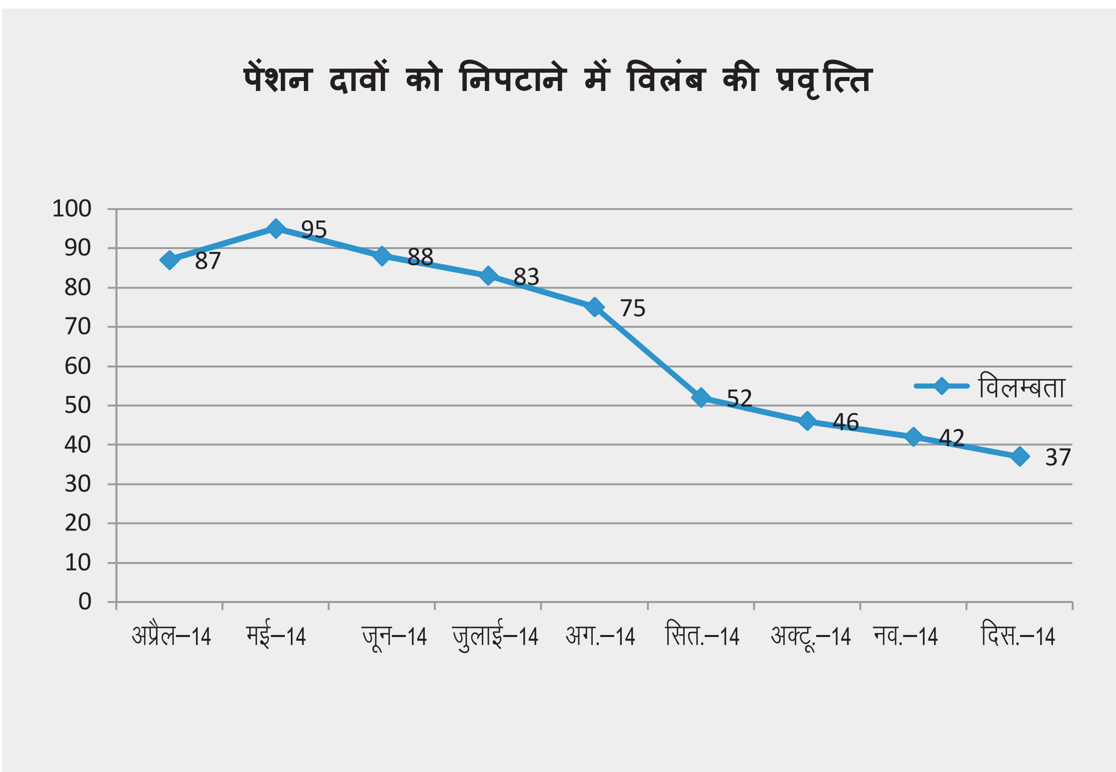

6.3. कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना, 1976

कोयला खान जमा सम्बद्ध बीमा योजना 1 अगस्त, 1976 से लागू की गई थी। सीआईएल के कार्यकारी काडर के कर्मचारियों को दिनांक 24.03.2009 की राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 822 (ई) के तहत उक्त स्कीम के प्रचालन से छूट दी गई थी। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को कोयला मंत्रालय द्वारा स्कीमों के प्रचालन से पूर्व में छूट दे दी गई थी। किंतु टिस्कों, इस्को, जिंदल विद्युत, सिंगरैनी, अदानी खनन प्राइवेट लिमिटेड, बीएलए उद्योग, सैनिक माइनिंग एलाइड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (एसईसीएल) आदि जैसी अन्य निजी कोयला कंपनियां / सहायक कंपनियां / यूनिटें अभी भी स्कीम में शामिल हैं।

******